फील्ड स्टाफ हेतु प्रशिक्षण मैनुअल/अनुदेश

के लिए

स्लम प्रोफाइल, परिवार की प्रोफाइल और शहरों/कस्बों की आजीविका प्रोफाइल की तैयारी एवं सर्वेक्षण

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

स्लम प्रोफाइल, परिवार की प्रोफाइल और शहरों/कस्बों की आजीविका प्रोफाइल की तैयारी एवं सर्वेक्षण

के लिए

फील्ड स्टाफ के लिए प्रशिक्षण मैनुअल/निर्देश

1. परिचय

शहरों और कस्बों में मलिन बस्ती/सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन सभी 394 क्लास-I वाले उन शहरों में किया जा रहा है जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार एक लाख या इससे अधिक है।

2. सामान्य निर्देश

2.1 जेएनएनयूआरएम (बीएसयूपी/आईएचएसडीपी) के लिए नगर पालिका/शहरी स्थानीय निकाय या राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के देख-रेख में सरकारी विभाग शहरों और कस्बों में मलिन बस्ती/गरीबी/आजीविका सर्वेक्षण का संचालन करेंगे। यदि एसएलएनए शहरी स्थानीय निकायों के साथ काम करने के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग में स्थित है, तो समन्वय प्रणाली शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के लिए एक केंद्रीय भूमिका असाइनमेंट के साथ होनी चाहिए। सर्वेक्षण के तहत शामिल हर शहर/कस्बे शहर/नगर के नगर आयुक्त/मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में पर्यवेक्षकों की एक टीम के साथ सर्वेक्षण उद्देश्य के लिए (शहरी सामुदायिक विकास विभागों से संवितरण अधिकारी) एक नोडल सेल नामित करेंगे। परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू)/यूएलबी में संप्रग सेल के तहत विशेषज्ञ को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा जा सकता है। केंद्रीय स्तर पर, निदेशक (एनबीओ) देश भर में तीन सर्वेक्षण के संचालन के लिए प्रभारी अधिकारी होंगे, राज्य स्तर पर संबंधित नोडल एजेंसी/विभाग वरिष्ठ अधिकारी की पहचान करेंगे जिनका कार्य निदेशक (एनबीओ) के साथ समायोजन करने और भारत सरकार को सर्वेक्षण संबंधित जानकारी संकलित करके आवश्यक जानकारी भेजने का होगा। शहर के नगर आयुक्त/मुख्य कार्यकारी शहर/कस्बे के स्तर पर सर्वेक्षण का वास्तविक संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

2.2 क्षेत्र में काम करने वाले एनएचजी (नेबरहुड समिति), एनएचसी (पड़ोस समिति) और प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन (गैर सरकारी संगठन) की तरह समय-समय पर होने वाले समुदाय योजनाओं के सर्वेक्षण में भाग लेना होना चाहिए।

2.3 प्रत्येक पर्यवेक्षक जनसंख्या और सर्वेक्षण के लिए शामिल होने वाले क्षेत्र के आधार पर 5-10 जांचकर्ता/सर्वेक्षकों वाले टीम के प्रमुख होंगे। पर्यवेक्षक का काम सही समय पर कार्यक्रम का निर्धारण करने होगा और यह अक्सर निरीक्षण करने के लिए क्षेत्र का दौरा

करेंगे। जांचकर्ताओं द्वारा एकत्रित की गई जानकारी की जांच और यदि कोई हो, तो आवश्यक सुधार करने का काम पर्यवेक्षक का होगा। पर्यवेक्षक द्वारा अनुमोदित/पुनरीक्षित होने के बाद, नगर निगम के अधिकार के पीआईयू/संप्रग सेल/नोडल सेल शेड्यूल के अनुसार में दर्ज की गई जानकारी संकलित करेंगे।

कवरेजः

- कार्यक्रम का प्रचार मलिन बस्ती वाले प्रत्येक शहरी ब्लॉक में किया जाना है।
- पूरे शहर/कस्बे के बारे में प्राप्त की गई मलिन बस्ती (चाहे सूचित हो या सूचित न हो) के बारे में जानकारी संग्रहित की जाएगी। राज्य सरकार/यूएलबी पहचान के अनुसार मलिन बस्ती को अधिसूचित और गैर अधिसूचित मलिन बस्ती के रूप में माना जाएगा और इसी अनुसार कार्यक्रम का प्रचार किया जाएगा।

कार्यक्रम की योजना

सर्वेक्षण के दौरान, जांच के निम्नलिखित अनुसूचियों का प्रचार किया जाएगा:

भाग क:	शहर/कस्बे की सामान्य जानकारी
भाग ख:	शहरी स्थानीय निकाय की मलिन बस्ती प्रोफ़ाइल
भाग ग:	सर्वेक्षण कार्य की विशिष्टताएं:
अनुबंध-I:	मलिन बस्ती का विस्तृत सर्वेक्षण
अनुबंध-II:	विस्तृत घरेलू सर्वेक्षण
अनुबंध-III:	विस्तृत आजीविका सर्वेक्षण

भाग-क

अनुसूची के भाग क में सर्वेक्षण के तहत शामिल शहर/कस्बे की सामान्य जानकारी शामिल होती है। अनुसूची का भाग क नगर निगम के अधिकार में नोडल सेल द्वारा भरा जाएगा। इस भाग में निम्नलिखित जानकारी संग्रहित की जानी हैं:

ब्लॉकः I

मद सं. 5	**मद का नाम**	**मद प्रचार के लिए निर्देश**
1 (क)	राज्य कोड	2001 की जनगणना के अनुसार कोड अपनाया जाना है।
(ख)	राज्य का नाम	यह मद स्वतः व्याख्यात्मक है।
2 (क)	जिला कोड	2001 की जनगणना के अनुसार उस जिले के लिए जहाँ शहर स्थित है वहां जिला कोड इस्तेमाल किया जाएगा।
2 (ख)	जिले का नाम	यह मद स्वतः व्याख्यात्मक है।
3 (क)	शहर/कस्बे का कोड	2001 की जनगणना के अनुसार शहर/कस्बे का कोड इस्तेमाल किया जाएगा।
4 (क)	शहर/कस्बे की जनसंख्या	2001 की जनगणना के अनुसार शहर/कस्बे की जनसंख्या का उल्लेख करें।
4 (ख)	शहर/कस्बे के परिवारों की संख्या	2001 की जनगणना के अनुसार शहर/कस्बे में रहने वाले परिवारों की संख्या का उल्लेख करें।

भाग-ख

यह अध्याय भाग-ख को भरने हेतु विस्तृत निर्देश देता है। इस अध्याय में इस भाग के विशिष्ट अवधारणाओं की चर्चा वहां की गई है जहाँ विशिष्ट मदों के निर्देश के साथ इसकी आवश्यकता है।

अनुसूची के भाग-ख में शहर/कस्बे/यूएलबी में स्थित सभी मलिन बस्तियों की सामान्य जानकारी दी गई है। सर्वेक्षण के तहत पूरे शहर/कस्बे के प्रत्येक मलिन बस्ती पर सूचना, **अधिसूचित** या **गैर-अधिसूचित** रूप में संग्रहित किया जाएगा। नगरपालिका क्षेत्र में सर्वेक्षण संचालन हेतु शहरी स्थानीय निकाय में नोडल सेल द्वारा जानकारी को भरा जाएगा।

खंडः II

मद	**मद प्रचार के लिए निर्देश**
प्रथम स्तंभ (क्र.सं.)	शहर/कस्बे में जहां एक से अधिक मलिन बस्ती है उनके लिए सीरियल नंबर निर्दिष्ट किया जाएगा। स्तंभ 2-8 में एकत्र की जा रही मलिन बस्ती के जानकारी हेतु सीरियल नंबर दर्ज किया जा रहा है। तदनुरूपी प्रत्येक पंक्ति के मलिन बस्ती ब्यौरे हेतु सीरियल नंबर दर्ज किया जा रहा है।
द्वितीय स्तंभ	यह मद स्वतः व्याख्यात्मक है।
तृतीय स्तंभ	जहां मलिन बस्ती स्थित है, वहां **भूमि स्वामित्व** को कोड में इस मद के सम्मुख दर्ज किया जाएगा। कोड हैं: **सार्वजनिकः** स्थानीय निकाय-01, राज्य सरकार-02, केन्द्र सरकार-03; निजी-04, अन्य-05 **नोटः** • 'अन्य' उपरोक्त कोड (01 से 04) किसी भी के तहत नहीं आते हैं इसमें दूसरे सभी भूमि शामिल होंगे।

- यदि भिन्न एजेंसी मलिन बस्ती में भूमि के समान क्षेत्रों का स्वामित्व प्राप्त करते हैं तो कोड उस भूमि से संबंधित होगा जहाँ मलिन बस्ती में रहने वाले परिवार के सभी लोगो की संख्या अधिक होगी।
- यदि एक से अधिक मालिक है तो यह मलिन बस्ती क्षेत्र के बड़े हिस्से के लिए लागू होने वाले कोड को दर्ज किया जाएगा।

चतुर्थ स्तंभ (वर्ग कि.मी. में)	मलिन बस्ती की वर्ग कि.मी. में अनुमानित क्षेत्र की जानकारी शहरी स्थानीय निकाय के रिकॉर्ड से इस स्तंभ में दर्ज किया जाएगा।
पंचम स्तंभ (मलिन बस्ती जनसंख्या)	यूएलबी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या दर्ज की जाएगी और इसके अलावा स्थानीय लोगो से पूछताछ कर इसके बारे में पता लगाया जाएगा।
छठा स्तंभ (मलिन बस्ती परिवारों की संख्या)	स्थानीय लोगो से पूछताछ करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर मलिन बस्ती में रहने वाले परिवारों की संख्या को इस मद में दर्ज किया जाएगा।
सातवाँ स्तंभ (बीपीएल जनसंख्या)	यूएलबी के नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार मलिन बस्ती में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या को सूचित किया जाएगा।
आठवां स्तंभ (बीपीएल परिवारों की संख्या)	यूएलबी के नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार मलिन बस्ती में रहने वाले बीपीएल परिवारों की संख्या भरी जाएगी।

मद सं. 6: प्रत्येक मलिन बस्ती के स्थान के साथ शहर/कस्बे/यूएलबी का स्केच/स्थानिक नक्शा का आरेखण सर्वेक्षण के तहत स्थान और मलिन बस्ती के नाम को दर्शाते हुए किया जाएगा। अधिसूचित मलिन बस्तियों को हरे रंग और गैर-अधिसूचित को लाल रंग में दर्शाया जाएगा।

भाग - ग

ब्लॉक III सर्वेक्षण कार्य का विवरण

अनुसूची के भाग ग में सर्वेक्षण के संचालन के ब्यौरे शामिल है। सर्वेक्षण की तारीख सर्वेक्षण में शामिल अधिकारी का नाम, पर्यवेक्षक और फील्ड स्टाफ की टिप्पण को यहाँ दर्ज किया जाना है।

मद सं. और मद का नाम	मद प्रचार के लिए निर्देश
7: नाम	प्रत्येक बस्ती के सर्वेक्षण में शामिल अन्वेषक/सर्वेक्षक और पर्यवेक्षक का नाम दर्ज किया जाएगा। सर्वेक्षण में यदि एक से अधिक जांचकर्ता/सर्वेक्षक और पर्यवेक्षक शामिल हैं, तो फिर प्रत्येक अन्वेषक/सर्वेक्षक और पर्यवेक्षक का नाम दर्ज किया जाएगा।
8. तारीख (क)सर्वेक्षण (ख) प्रश्नावली की प्राप्ति (ग) समीक्षा (घ) शहरी स्थानीय निकाय में नोडल सेल द्वारा रसीद	यह मद स्वतः व्याख्यात्मक है।
9. हस्ताक्षर	अन्वेषक/सर्वेक्षक और पर्यवेक्षक दोनों के यहां हस्ताक्षर होंगे।
10. अन्वेषक/ सर्वेक्षक द्वारा टिप्पणियां:	प्रासंगिक टिप्पणियां जो किसी भी मलिन बस्ती सर्वेक्षण में पर्यवेक्षण के किसी ख़ासियत समझाने और/या डेटा एकत्र करने में आने वाली संबंधित समस्याओं समाधान के लिए आवश्यक माना जाता है, को अन्वेषक द्वारा इस ब्लॉक में दर्ज किया जाएगा। यदि अन्वेषक यह मानता है कि मुखबिर द्वारा दी गई कुछ जानकारी संदिग्ध प्रकृति की है तो, इसे भी टिप्पणी के साथ इंगित कर सकता है। कोई भी

	अन्य टिप्पणी जिनसे अनुसूची में दी गई प्रविष्टियों का उचित मूल्यांकन करने में मदद मिल सकती है उसे भी यहां दर्ज किया जा सकता है।इस तरह टिप्पणी से समझने और डाटा प्रोसेसिंग स्तर पर अनुसूची प्रविष्टियों की जाँच करने में मदद भी मिलेगी।
11. पर्यवेक्षक द्वारा की गई टिप्पणी	इस अनुसूची में जांच के तहत विशेषताओं से संबंधित किसी भी पहलू पर पर्यवेक्षक को अपने विचार/टिप्पणी नोट करना चाहिए और/या अन्वेषक/सर्वेक्षक द्वारा प्रचार अनुसूची का विशेष पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। उन पर अपनी टिप्पणी देनी चहिये और/या अन्वेषक/सर्वेक्षक द्वारा की गई टिप्पणी की पुष्टि करनी चाहिए।

अनुबंध - I
(मलिन बस्ती का सर्वेक्षण)

प्रत्येक मलिन बस्ती पर सूचना, अधिसूचित या गैर-अधिसूचित, की सीमाओं के भीतर स्थित शहर/कस्बे/यूएलबी के माध्यम से अनुसूची-I में एकत्र किया जाएगा। इस अनुसूची में विशेषरूप से मलिन बस्ती के बारे में कुछ व्यापक जानकारी की रिकॉर्डिंग है। निम्नलिखित ग्यारह ब्लॉकों के जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुसूची I बनाया गया है:

ब्लॉक I: मलिन बस्ती पर बुनियादी सूचना
ब्लॉक II: भूमि स्थिति
ब्लॉक III: जनसांख्यिकीय प्रोफाइल
ब्लॉक IV: घर की स्थिति ब्लॉक
ब्लॉक V: आर्थिक स्थिति
ब्लॉक VI: व्यावसायिक स्थिति
ब्लॉक VII: भौतिक बुनियादी सुविधा का उपयोग
ब्लॉक VIII: शिक्षण सुविधाएं
ब्लॉक IX: स्वास्थ्य सुविधाएं
ब्लॉक X: मलिन बस्तियों के लिए उपलब्ध सामाजिक विकास/कल्याण सुविधाएं
ब्लॉक XI: अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता

सर्वेक्षण के तहत विशेष शहर/कस्बे में कार्यक्रम का प्रचार किया जा जाना है। इस प्रकार कार्यक्रम का प्रचार केवल शहरी क्षेत्र में किया जाएगा। सर्वेक्षण किए जाने वाले मलिन बस्ती का मैप प्रचार कार्यक्रम के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, स्पष्ट सीमा विवरण की आसान पहचान हेतु विवरण नक्शा मद 6 भाग ख में तैयार नक्शे के साथ मेल खानी चाहिए।

ब्लॉक I: मलिन बस्ती के बारे में मूल जानकारी

मद संख्या	**मद का नाम**	**मद का प्रचार करने हेतु निर्देश**
1	मलिन बस्ती का नाम	मलिन बस्ती का स्थानीय नाम यहाँ दर्शाया जाना है।
1क	मलिन बस्ती का कोड	तीन अंकों वाला विशिष्ट कोड यूएलबी द्वारा जनरेट किया जाना है।
2	स्थान-वार्ड नंबर/नाम	पिन कोड के साथ आपको पूरा पता लिखना होगा।
3	मलिन बस्ती की मौजूदगी का समय (वर्षों में)	यह निर्धारित करने के लिए मलिन बस्ती के वरिष्ठ निवासी से जानकारी संग्रहित करनी चाहिए कि कितने समय से यहाँ मलिन बस्ती मौजूद है। इसके अलावा इस जानकारी का मिलान यूएलबी के दर्ज से करना चाहिए।
4	मलिन बस्ती का क्षेत्र (वर्ग मीटर)	मलिन बस्ती का **वर्ग मीटर** में क्षेत्र जांचकर्ता द्वारा निश्चित करके इसे मद में दर्ज किया जाएगा।
5	क्या मुख्य शहर/नगर या मुख्य क्षेत्र में स्थित है	मलिन बस्ती का स्थान उस शहर के भाग को संदर्भित करता है जिसमें मलिन बस्ती स्थित है। मुख्य क्षेत्र शहर की सीमा है। जिसे नीचे दिए गए उचित आइटम का चयन करके भरा जाना है: मुख्य शहर/कस्बे-01 मुख्य क्षेत्र-02
6	मलिन बस्ती के आसपास के क्षेत्र का प्रकार	**मलिन बस्ती के आसपास के क्षेत्र का प्रकार** कोड में इस आइटम के लिए दर्ज किया जाएगा। 'मलिन बस्ती के आसपास का क्षेत्र' मलिन बस्ती सीमा के बड़े हिस्से के सटे क्षेत्र को संदर्भित करता है। कोड निम्नलिखित हैं: आवासीय-01, औद्योगिक-02, वाणिज्यिक-03, सांस्थानिक-04, अन्य-49

नोट:

- 'अन्य' दुसरे सभी आसपास के क्षेत्रों में शामिल होगा इसे उपरोक्त कोड (01-04) में से किसी में शामिल नहीं किया गया है।
- यदि मलिन बस्ती के आसपास एक से अधिक प्रकार के क्षेत्र हो तो कोड मलिन बस्ती क्षेत्र के अधिक से अधिक भाग पर लागू होता है और उसे रिकार्ड किया जाता है।

7	मलिन बस्ती की वास्तविक स्थिति	मलिन बस्ती के भौतिक स्थिति को कोड में इस मद के सम्मुख रिकार्ड किया जाएगा। कोड निम्नलिखित हैं:

नाला के किनारे (प्रमुख स्टोर्म जल निकास)-01, अन्य नालियों के किनारे-02, रेलवे लाइन के किनारे--03, प्रमुख परिवहन संरेखण के किनारे-04, नदी/जल निकाय के किनारे-05, नदी के किनारे/जल निकाय संस्तर पर-06, (खतरनाक या आपत्तिजनक) अन्य-07, अन्य (गैर-खतरनाक/गैर आपत्तिजनक)-08

नोटः

- खतरनाक या आपत्तिजनक क्षेत्र वह क्षेत्र हैं जहां आग, विस्फोट या पर्यावरणीय खतरें मौजूद होते हैं और यह आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयुक्त नहीं होते है। यह सभी खतरनाक क्षेत्रों में शामिल होगा और इसे 1-6 कोड में से किसी में शामिल नहीं किया गया है।
- गैर-खतरनाक/गैर आपत्तिजनक क्षेत्र में सभी आपत्तिजनक क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा इसे 1-6 कोड के किसी भी में शामिल नहीं किया

		गया है।
8	क्या मलिन बस्ती अधिसूचित/घोषित है	मलिन बस्ती अधिसूचित है या नहीं इसका पता स्थानीय नगरपालिका या अन्य उचित प्राधिकरणों से लगाया जायेगा।यदि मलिन बस्ती अधिसूचित है तो कोड 1 को रिकार्ड किया जाता है; अन्यथा कोड 2 रिकार्ड किया जाएगा।
9	यदि 8 में हाँ (01) है तो अधिसूचना वर्ष बताएं	यदि मलिन बस्ती अधिसूचित होता है तो, उपयुक्त सरकारी एजेंसी अर्थात, नगरपालिका या किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना वर्ष को इस मद के सम्मुख रिकार्ड किया जाएगा। वर्ष के सभी चार अंक इस स्तंभ में दिए हुए प्रकोष्ट में इंगित किया जाना होता है। यदि अधिसूचना वर्ष ज्ञात नहीं है, तो सरकारी एजेंसी में सूचित करके इसका पता लगाया जाएगा।

ब्लॉक II: भूमि की स्थिति

मद संख्या	**मद का नाम**	**मद के प्रचार हेतु निर्देश**
10	भूमि स्वामित्व, जहाँ मलिन बस्ती स्थित है	नीचे दिए गए कोड में मलिन बस्ती के तहत भूमि स्वामित्व को इस मद के सम्मुखदर्ज किया जाएगा। एक से अधिक स्वामी होने पर, कोड मलिन बस्ती क्षेत्र के अधिक से अधिक भाग पर लागू होता है तो इसे दर्ज किया जाएगा। **सार्वजनिकः** स्थानीय निकाय-01, राज्य सरकार-02, रेलवे-03, रक्षा-04, एयरपोर्ट-05, रेलवे, रक्षा या एयरपोर्ट के अलावा अन्य भारत सरकार- 06; **निजी** - 07, अन्य-49, अज्ञात-99
11	भूमि स्वामित्व को	भूमि स्वामित्व को (भूमि किससे संबंधित है) स्पष्ट

निर्दिष्ट करें   रूप से रिकार्ड किया जाना है।

ब्लॉक III: जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

12. जनसंख्या और स्वास्थ्य

सर्वेक्षण के तहत मलिन बस्ती की कुल आबादी जैसी मदों के जानकारी के लिए बीपीएल आबादी, मलिन बस्ती में घर की संख्या, बीपीएल परिवार की संख्या,महिला-नेतृत्व में परिवारों की संख्या, 65 वर्ष के उम्र से अधिक व्यक्तियों की संख्या, श्रमिक बच्चों की संख्या, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या, एचआईवी-एड्स वाले व्यक्तियों की संख्या, टीबी वाले व्यक्तियों की संख्या, अस्थमा वाले व्यक्तियों की संख्या के साथ, श्वसन रोग वाले व्यक्तियों और पुराने रोग वाले व्यक्तियों की संख्या को एकत्र किया जाएगा। प्रत्येक मद के लिए सूचना अनुसूचित जाती, जनजाती, अन्य पिछड़े वर्ग, दूसरे और अल्पसंख्यक (इन सभी) से एकत्र किया जाएगा। नगरपालिका अधिकारियों की मदद से मलिन बस्ती के एक या एक से अधिक जानकार व्यक्तियों के साक्षात्कार द्वारा एकत्र किया जाएगा।

13. साक्षरता – शिक्षा

प्रत्येक मद के लिए सूचना की जानकारी अनुसूचित जाती, जनजाती, अन्य पिछड़े वर्ग, अन्य और अल्पसंख्यक (इन सभी) से एकत्र किया जाएगा। नगरपालिका अधिकारियों की मदद से मलिन बस्ती के बारे में जानकारी एक या एक से अधिक जानकार व्यक्तियों द्वारा पूछताछ कर प्राप्त की जाएगी।

14. आवास इकाइयों की संरचना

प्रथम पंक्ति: मलिन बस्ती में पक्की संरचना, अर्द्ध-पक्की संरचना और कच्ची संरचना वाले अवासीय इकाइयों की संख्या रिकार्ड किया जाएगा।

दूसरी पंक्ति: कुल पक्के आवास में बिजली की सुविधा, पक्की, अर्द्ध-पक्की और कच्ची आवास इकाइयों, अर्ध पक्की और कच्ची आवास इकाइयों की संख्या को रिकार्ड किया जाएगा।

नगरपालिका अधिकारियों की मदद से मलिन बस्ती के एक या एक से अधिक जानकार व्यक्तियों द्वारा पूछताछ कर जानकारी प्राप्त की जाएगी।

नोटः

आवासीय इकाईः अपने आवासीय प्रयोजन हेतु ली गई घर आवास है। यह पूरी संरचना या उसका एक हिस्सा हो सकता है या एक से अधिक संरचना से मिलकर बना हो सकता है। अपने आवास के लिए एक से अधिक कब्जे में लेने वाले घर का मामला एक ही परिवार का हो सकता है। आवास हेतु एक से अधिक संरचना घर का मामला हो सकता है। इस मामले में, सभी संरचनाओं से एकल आवासीय इकाई का गठन होता है। आवासीय इकाई में आवास हेतु उपयोग किए गए सभी पक्के, अर्द्ध-पक्की और कच्ची संरचनाओं को शामिल किया जाता है। नियमित रूप से पुल, पाइप, सीढ़ी के नीचे, सड़क के किनारे बनाए गए शेड वाले मकान में रहने वाले लोगो के मकान को घर नहीं माना जाता है (इसे कभी भी हटाया जा सकता है)।

पक्का संरचनाः पक्का संरचना वह होता है जिसका दीवार और छत सीमेंट, कंक्रीट, ओवन जले ईंटों, खोखले सीमेंट/राख वाले ईंट, पत्थर, पत्थर की सिल्ली, जैक बोर्ड (सीमेंट प्लास्टर), लोहा, जस्ता या अन्य धातु शीट, लकड़ी, टाइल, स्लेट, नालीदार लोहा, अभ्रक सीमेंट चादर, लिबास, प्लाईवुड, सिंथेटिक सामग्री से बने कृत्रिम लकड़ी और पाली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) सामग्री जैसे पक्के सामग्री से बना होता है।

कच्चा संरचनाः बिना पक्की सामग्री की बनी दीवारों और छतों को कच्चा संरचना के रूप में माना जाता है। गैर-पक्की सामग्री में अधजली ईंटें, बांस, मिट्टी, घास, पत्तियां, नरकट, छप्पर आदि शामिल होते हैं।

अर्ध पक्का संरचनाः ऐसी संरचना जो ना पक्की ना कच्ची सामग्री से बनी होती है उसे अर्ध पक्का संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस तरह की संरचना में यो तो दीवार या तो छत पक्की सामग्री की बनी होती है या इसमें दोनों पक्की सामग्री से नहीं बने होते हैं।

15. भूमि पट्टेदारी की स्थितिः

पट्टा, कब्जा प्रमाण पत्र/अधिभोग अधिकार वाले सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, निजी भूमि पर अतिक्रमण, किराए पर, और किसी भी अन्य आवास इकाइयों की संख्या, अनुसूची में निर्दिष्ट रूप से कॉलम में दर्ज किया जाना है।

ब्लॉक V: घर के सदस्यों की आर्थिक स्थिति

निर्दिष्ट की गई अलग-अलग श्रेणी में मासिक आय वाले परिवारों की संख्या मद संख्या 16 से प्राप्त की जाएगी।

ब्लॉक VI: घर के सदस्यों की व्यावसायिक स्थिति

वर्गीकृत विभिन्न व्यावसायिक स्थिति वाले परिवारों की संख्या मद 17 से प्राप्त किया जाएगा।

ब्लॉक VII: भौतिक बुनियादी ढांचे का उपयोग

मद सं.	मद का नाम	मद के प्रचार हेतु निर्देश
18a	पीने के पानी का स्रोत (शामिल एचएच की संख्या)	द्वितीय पंक्ति में पीने वाले पानी का भिन्न स्रोत (जैसा कि पहली पंक्ति में दर्शाया गया है) के माध्यम से उपयोग करने वाले घरों की संख्या। मलिन बस्ती में पीने के पानी के स्रोतों (अपना नल, सार्वजनिक नल, नलकूप, बोरवेल हैंडपंप) की मौजूदा स्थिति और दर्शाए गए कोड के अनुसार जल आपूर्ति की अवधि द्वितीय पंक्ति में दर्ज किया जाएगा।
18 b	शहर में जल आपूर्ति प्रणाली की कनेक्टिविटी	चाहे मलिन बस्ती शहर-व्यापी वाटर सप्लाई ट्रंक सिस्टम से जुड़ा हो या नहीं। इसे दिए गए कोड के अनुसार दर्ज करना चाहिए। पूर्ण रूप से कनेक्टेड 01, आंशिक रूप से कनेक्टेड 02, कनेक्ट नहीं गए 03
19a	ड्रेनेज और सीवेज सुविधा	वर्षा जल निकासी, भूमिगत जल निकासी/सीवर लाइन, डीजेस्टर और वह जो सीवर या डीजेस्टर से कनेक्ट नहीं हैं के एक्सेस के लिए एचएच की कुल संख्या इस मद में दर्ज किया जाना चाहिए। भूमिगत पाइप या ड्रेनेज वाटर की निकासी के लिए नाली, अपशिष्ट पदार्थ, शौचघर से

		होने वाले डिस्चार्ज (मलत्याग) भूमिगत सीवरेज प्रणाली के अंतर्गत शामिल होते हैं।
19b	शहर-व्यापी वर्षा जल निकासी प्रणाली की कनेक्टिविटी	चाहे मलिन बस्ती शहर-व्यापी जल निकासी प्रणाली से जुड़ी हो या नहीं। इसे कोड में दर्ज करना चाहिए।
19c	शहर व्यापी सीवरेज प्रणाली की कनेक्टिविटी	चाहे मलिन बस्ती शहर-व्यापी सीवरेज प्रणाली से जुड़ी हो या नहीं। इसे कोड में दर्ज करना चाहिए।
19d	चाहे मलिन बस्ती में वर्षा के कारण बाढ़ की संभावना हो या नहीं	जानकारी कोड में दर्ज की जाएगी।
20	घर के लोगो द्वारा उपयोग की जाने वाली शौचालय सुविधा	विभिन्न प्रकार की शौचालय सुविधाओं का उपयोग करने वाले घरों की संख्या दर्ज की जाएगी। कुछ क्षेत्रों में अभी भी ऐसे शौचालय हैं जिसकी सफाई मेहतर द्वारा की जाती है जिसे सर्विस शौचालय कहा जाता है। भूमिगत सीवरेज सिस्टम से कनेक्टेड शौचालय को फ्लश सिस्टम शौचालय कहा जाता है। भूमिगत सेप्टिक चैम्बर से कनेक्टेड शौचालय को सेप्टिक टैंक शौचालय माना जाता है। जमीन में पिट डग से कनेक्टेड शौचालय को पिट लैट्रिन कहा जाता है।
21	कचरे के निपटान की आवृत्ति	कचरे के निपटान के बारे में जानकारी कोड में दर्ज की जाएगी।
21b	कचरे के निपटान की व्यवस्था	मलिन बस्ती में प्रचलित कचरे के निपटान हेतु की जाने वाली व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करके इसे

		कोड में दर्ज किया जाएगा।
21c	खुली नालियों की निकासी की आवृत्ति	खुली नालियों की निकासी की आवृत्ति के बारे में जानकारी कोड में दर्ज की जाएगी।
22	मलिन बस्ती के लिए पहुंच मार्ग/ लेन/निर्माण पथ	पहुंच मार्ग मलिन बस्ती क्षेत्र का प्रमुख मुख्य मार्ग होगा। यदि एक से अधिक पहुंच मार्ग हैं तो मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने सड़क को प्रमुख मार्ग माना जाना चाहिए। मलिन बस्ती क्षेत्र में प्रवेश के लिए पहुँच मार्ग या लेन या निर्माण पथ का निर्माण प्रकार कोड में दर्ज किया जाएगा। मोटर चलने योग्य सड़क वह होता है जो मोटर कार आने-जाने के लिए काफी चौड़े होते हैं।
23	निकटवर्ती मोटर चलने वाले सड़क से दूरी	शहर के निकटवर्ती मुख्य मार्ग से दूरी कोड में दर्ज की जाएगी।
24	आतंरिक मार्ग	जानकारी मुख्य मार्ग के रूप में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगो द्वारा उपयोग की जाने सड़क से संबंधित होगी। जानकारी कोड में दर्ज की जाएगी। यदि कुछ सड़क कच्चे और कुछ पक्के हैं तो सड़क के प्रकार का निर्धारण प्रत्येक प्रकार के सड़क द्वारा तय की गई दूरी पर विचार करके किया जाएगा।
25	चाहे मलिन बस्ती में स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध हो या नहीं	चाहे मलिन बस्ती में स्ट्रीट लाइट की सुविधा हो या नहीं, इसके बारे में जानकारी कोड में दर्ज की जाएगी।

ब्लॉक VIII और ब्लॉक IX: शैक्षिक सुविधाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं

मद 26 से मद 31: मौजूदगी/दूरी और पूर्व प्राथमिक विद्यालय की संख्या, प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और स्वास्थ्य सुविधाएं कोड में दर्ज की जाएंगी।

ब्लॉक X. सामाजिक विकास/कल्याण

मद संख्या	मद का नाम	मद के प्रचार के लिए निर्देश
32	मलिन बस्ती में सुविधाओं की उपलब्धता	सामुदायिक भवन, आजीविका/उत्पादन केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण/ प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र, सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास केंद्र, रैन बसेरा, वृद्धाश्रम जैसी कई प्रकार की सुविधाओं की उपलब्धता कोड में दर्ज की जानी चाहिए।
33 a	वृद्धावस्था पेंशन	सर्वेक्षण के तहत मलिन बस्ती में रहने वृद्धावस्था पेंशन धारकों की संख्या दर्ज की जाएगी।
33 b	विधवा पेंशन	सर्वेक्षण के तहत मलिन बस्ती में रहने विधवा पेंशन धारकों की संख्या दर्ज की जाएगी।
33 c	विकलांगों के लिए पेंशन	सर्वेक्षण के तहत मलिन बस्ती में रहने विकलांग पेंशन धारकों की संख्या दर्ज की जाएगी।
33 d	सामान्य बीमा	सर्वेक्षण में सामान्य बीमा करने वाले मलिन बस्ती के लोगो की संख्या दर्ज की जाएगी।
33 e	स्वास्थ्य बीमा	सर्वेक्षण में स्वास्थ्य बीमा करने वाले मलिन बस्ती के लोगो की संख्या दर्ज की जाएगी।
34	स्वयं सहायता/ डीडब्ल्यूसीयूए	सर्वेक्षण के तहत मलिन बस्ती में रहने वाले स्वयं सहायता/ डीडब्ल्यूसीयूए समूह की मौजूदा/सक्रिय संख्या दर्ज

	समूह	की जाएगी।
35	बचत और ऋण समितियां	सर्वेक्षण के तहत मलिन बस्ती के बचत और ऋण समितियों की संख्या दर्ज की जाएगी।
36 a	मलिन बस्ती में रहने वाले लोगो का संघ	यह जांच की जानी चाहिए कि क्या मलिन बस्ती में रहने वाले लोगो की स्थिति में सुधार लाने के लिए मलिन बस्ती में रहने वाले लोगो का संघ है। यदि मलिन बस्ती में रहने वाले लोगो का कोई ऐसा संघ है तो कोड 1 दर्ज अन्यथा 2 दर्ज किया जाएगा।
36 b	यूथ एसोसिएशन	बस्ती में विभिन्न गतिविधियों के लिए युवा द्वारा बनाई गई मौजूदा/सक्रिय यूथ एसोसिएशन की संख्या दर्ज की जाएगी।
36 c	महिला एसोसिएशन/ महिला समिति	मलिन बस्ती की मौजूदा/सक्रिय महिला एसोसिएशन/ महिला समिति की संख्या दर्ज की जाएगी।

ब्लॉक XI। अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता

सर्वेक्षण के तहत मलिन बस्ती के लिए अनुमानित लागत सहित अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में जानकारी नगर अभियंता/कार्यकारी अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी।

अनुबंध-II
(विस्तृत घरेलू सर्वेक्षण)

अनुबंध-II प्रचार के लिए जनरल निर्देशः पारिवारिक निर्धनता का सर्वेक्षण

घरों का सूचीकरणः अनुबंध-I की जांच करने के बाद, अगला चरण निम्नलिखित स्वरुप में सर्वेक्षण (स्थायी जांच में घरों के स्थायी रूप से बंद होने के बारे में पता लगाने के बाद वे जो स्थायी रूप से बंद हैं) के तहत मलिन बस्ती के सभी घरों की सूची बनाना है।

मलिन बस्ती का नामः

कवरेजः सर्वेक्षण के तहत विशेष मलिन बस्ती क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित हर घर की जानकारी अनुबंध-II के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

क्रम संख्या	स्थानः वार्ड संख्या/नाम	मकान/फ्लैट/घर का नंबर	परिवार के मुखिया का नाम

सूचना का स्रोतः जानकारी घर के प्रमुख या घर के किसी जानकार व्यक्ति से बातचीत करके प्राप्त की जाएगी। अधिकतर आइटम की जानकारी कोड में दर्ज की जानी चाहिए। जहाँ कहीं भी लागू हो कार्यसूची में कोड दर्शाए जाते हैं।

परिवार के मुखियाः घर का मुखिया वह व्यक्ति होता है जिन्हें घर के लोग मुखिया मानते हैं। यह वह व्यक्ति होता है जिस पर घर के कार्यों को करने की प्रमुख जिम्मेदारी होती है और यह आवश्यक नहीं है कि वे घर में कमाने वाले प्रमुख सदस्य हों।

कार्यक्रम की योजना

सर्वेक्षण के तह विशेष मलिन बस्ती वाले क्षेत्र की सीमाओं में स्थित प्रत्येक घरों की जानकारी अनुबंध–II के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। यह कार्यक्रम सर्वेक्षण के तहत मलिन बस्ती की घरेलू स्तर की जानकारी दर्ज करने के लिए होगा। निम्नलिखित पांच ब्लॉक में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुसूची II तैयार की जाएगीः

ब्लॉक I: सामान्य सूचना

ब्लॉक II: घरेलू स्तर की सामान्य सूचना

ब्लॉक III: घरेलू स्तर में विस्तृत जानकारी

ब्लॉक IV: यदि लागू हो तो परिवार के माइग्रेशन का विवरण

ब्लॉक V: परिवारों की आय व्यय विवरण

ब्लॉक I: सामान्य जानकारी

सर्वेक्षण के तहत विशेष रूप से घर के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी।

मद संख्या	**मद का नाम**	**मद का प्रचार करने के लिए निर्देश**
1	मलिन बस्ती का नाम	उस मलिन बस्ती का नाम जहाँ सर्वेक्षण के तहत विशेष रूप से स्थित घरों की जानकारी इस मद के सम्मुख दर्ज किया जाएगा।
2	स्थान	उस वार्ड का नाम और संख्या जहाँ सर्वेक्षण के तहत विशेष रूप से स्थिति घरों की जानकारी इस मद के सम्मुख दर्ज की जाएगी।
3	हाउस/फ्लैट/घरों की संख्या	सर्वेक्षण के तहत घरों के हाउस/फ्लैट/घर की संख्या इस मद के सम्मुख दर्ज की जाएगी।
ब्लॉक II: घरेलू स्तर की सामान्य जानकारी		
मद संख्या	**मद का नाम**	**मद प्रचार हेतु निर्देश**
4	परिवार के मुखिया का नाम	सर्वेक्षण के तहत परिवार के मुखिया का नाम दर्ज की जाएगी। नोटः परिवार का मुखिया वह सदस्य होता है जिसे परिवार द्वारा स्वीकृति दी जाती है। वह व्यक्ति सामान्यतः घरेलू मामलों के प्रबंधन हेतु जिम्मेदारियों का निर्वाह और इसके

		लिए यह जरुरी नहीं है कि वह घर का कमाऊ सदस्य हो।
5	पिता का नाम	परिवार के मुखिया के पिता का नाम दर्ज किया जाएगा।
6	लिंग	इस मद में परिवार के मुखिया का लिंग कोड में दर्ज किया जायेगा। यदि परिवार के मुखिया का लिंग पुरुष है तो कोड 1 और महिला है तो कोड 2 दर्ज किया जायेगा यदि परिवार के मुखिया नपुंसक है तो उसके लिए कोड 1 दर्ज किया जायेगा।
7	जाति	चाहे घर का प्रमुख सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित हो, उन्हें कोड में इस मद के सम्मुख दर्शाया जाएगा।
8	धर्म	घर के लोगो का धर्म इस मद के सम्मुख कोड में दर्ज किया जाएगा। यदि घर के भिन्न सदस्य भिन्न-भिन्न धर्मों का होने का दावा करते हैं तो घर के मुखिया का धर्म घर के सभी लोगो का धर्म माना जाएगा।
9	अल्पसंख्यक स्थिति	परिवार के मुखिया की अल्पसंख्यक स्थिति इस मद के सम्मुख कोड में दर्शायी जाएगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में परिवार का मुखिया अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित नहीं होने पर कोड 1 दर्ज किया जाएगा अन्य कोड 2 दर्ज किया जाएगा।
10	महिला प्रधान होने पर महिला प्रमुख की स्थिति	यदि 02 शेड्यूल के मद संख्या 6 के लिए लागू होता है यानि यदि घर की प्रमुख कोई महिला है तो महिला प्रमुख की स्थिति कोड में दर्ज की जाएगी।

11	परिवार के सदस्यों की संख्या	पुरुष, स्त्री की संख्या और परिवार के सदस्यों की संख्या इस मद के सम्मुख दर्ज की जाएगी। नोट करें: "परिवार के सदस्य" को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक ही घर में पति-पत्नी, माता-पिता, बच्चे, भाई और बहन और उनके घर के लोग, या उनका कोई निकट संबंधी हो, परिवार के मुखिया के साथ बहुत अच्छा संबंध हो, उन्हें घर का सदस्य माना जाता है जो घर के प्रमुख या प्रबंधक की देखरेख में रहते हैं।
12	अशिक्षित वयस्क सदस्यों की संख्या	14 वर्ष से ऊपर वाले अशिक्षित पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या इस मद के सम्मुख दर्ज की जाएगी।
13	6-14 वर्ष की उम्र में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चो की संख्या	6-14 वर्ष की उम्र में स्कूल नहीं जाने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या इस मद के सम्मुख दर्ज की जाएगी।
14	विकलांगों की संख्या	परिवार के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या इस मद के सम्मुख दर्ज किया जाएगा।
15	यदि घर में कमाने वाली कोई महिला है तो घर में कमाने वाली महिला की स्थिति	यदि घर में कमाने वाली कोई महिला है तो उसकी स्थिति इस मद के सम्मुख कोड में दर्ज की जाएगी।

16	क्या आपके घर में कोई गरीबी रेखा के नीचे है?	चाहे सर्वेक्षण के तहत परिवार का सदस्य राज्य/संघ क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे आता है तो इसे इस मद के सम्मुख कोड में दर्ज किया जाएगा।
17	यदि 16 में 01 है तो परिवार के सदस्य के पास बीपीएल कार्ड है	यदि परिवार के सदस्य के पास बीपीएल कार्ड है तो 'हाँ' दर्ज किया जाएगा अन्यथा 'नहीं' दर्ज किया जाएगा।

ब्लॉक III: घरेलू स्तर की विस्तृत जानकारी

मद संख्या	मद का नाम	मद के प्रचार के लिए निर्देश
18	भूमि पट्टेदारी अवधि की स्थिति	घर की भूमि पट्टेदारी अवधि की स्थिति इस आइटम के सम्मुख कोड में दर्ज की जाएगी। कोड निम्नलिखित है: पट्टा-01, कब्जा प्रमाणपत्र/अधिभोग राइट-02, निजी भूमि पर अनधिकार प्रवेश-03, सार्वजनिक भूमि पर अनधिकार प्रवेश-04, किराए पर-05, अन्य-49 नोटः 'अन्य' सभी भूमि पट्टेदारी अवधि की स्थिति को शामिल करेगा जो 01 से 05 किसी कोड के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।
19	घर का प्रकार/ संरचना	घर का प्रकार/संरचना जिसमें घर के सभी लोग वर्तमान में रह रहे है, की जानकारी इस मद के सम्मुख कोड में दर्ज की जाएगी। कोड निम्नलिखित हैं: पक्का -01 आधा पक्का-02, कच्चा-03 नोट:

		पक्का संरचनाः पक्का संरचना वह होता है जिनकी दीवारें और छतें पक्की सामग्री जैसे कि सीमेंट, सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, होलो सीमेंट/ऐश ईंट, पत्थर, स्टोन ब्लॉक, जैक बोर्ड (सीमेंट से प्लास्टर की गई रीड), लोहा, जस्ता या अन्य धातु शीट, लकड़ी, टाइल, स्लेट, नालीदार लोहा, चादर, प्लाईवुड, सिंथेटिक सामग्री और पाली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) सामग्री के कृत्रिम लकड़ी से बना होता है। **कच्ची संरचनाः** ऐसी संरचना जिनकी दीवारें और छतें कच्ची सामग्री से बनी होती हैं उसे कच्ची संरचना माना जाता है। कच्ची सामग्री में बिना जले हुए ईंटें, बांस, मिट्टी, घास, पत्तियां, नरकट, छप्पर आदि शामिल होते हैं। **आधी पक्की संरचनाः** ऐसी संरचना जिसे परिभाषा के अनुसार पक्की या कच्ची संरचना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है वह आधी पक्की संरचना होती है। ऐसी संरचना में या तो दीवारें या छतें दोनों नहीं होगी लेकिन पक्की सामाग्रियों से बनी होगी।
20	छत का प्रकार	घर के छत का प्रकार जिसमें घर के सभी लोग वर्तमान में रह रहे हैं, की जानकारी इस मद के सम्मुख कोड में दर्ज की जाएगी। कोड निम्नलिखित हैं: घास/फूस-01, तिरपाल-02, लकड़ी-03, ऐस्बेस्टॉस-04, टाइल-05, सीमेंट/स्लैब-06, अन्य-49 नोट: ➢ उस छत की सामग्री निर्धारित करना, जिस सामग्री से मौसम के संपर्क में आने वाली बाहरी छतें बनी होती हैं

		➢ यदि छत के भिन्न हिस्से भिन्न सामग्रियों के बने हैं तो छत का प्रकार, आवास के छत की क्षेत्रों के बड़े हिस्से के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्री के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। ➢ 'अन्य' सभी प्रकार के छतों को शामिल करेगा जो 01 से 06 किसी भी कोड के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।
21	फर्श का प्रकार	घर के छत का प्रकार जिसमें घर के सभी लोग वर्तमान में रह रहे हैं, की जानकारी इस मद के सम्मुख कोड में दर्ज की जाएगी। कोड निम्नलिखित हैं: मिट्टी-01, ईंट-02, स्टोन-03, सीमेंट-04, टाइलें-05,-अन्य 49 नोटः ➢ यदि फर्श के भिन्न हिस्से भिन्न सामग्रियों के बने हैं तो फर्श का प्रकार, आवास के फर्श की क्षेत्रों के बड़े हिस्से के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्री के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। ➢ 'अन्य' सभी प्रकार के फर्श को शामिल करेगा जो 01 से 05 किसी भी कोड के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।
22	घर की लाइटिंग	घर में किस प्रकार की लाइटिंग में सभी लोग वर्तमान में रह रहे हैं, इसकी जानकारी इस मद के सम्मुख कोड में दर्ज की जाएगी। कोड निम्नलिखित हैं: बिजली का कनेक्शन-01, मिट्टी का तेल-02, ईंधन की लकड़ी-03 अन्य-49 नोट: ➢ यदि घर के लाइटिंग के लिए एक से अधिक स्रोतों का

		उपयोग किया जाता है तो इसके उपयोग की सीमा के आधार पर प्राथमिक या प्रमुख स्रोतों की पहचान की जाएगी और संगत कोड उपयुक्त बॉक्स में नोट किया जाएगा। ➢ बिजली का उपयोग क़ानूनी या गैर-क़ानूनी रूप से किया जा सकता है और इसकी आपूर्ति या तो पब्लिक एजेंसी कारपोरेशन या सार्वजनिक आपूर्तिकर्ता द्वारा घरों में की जा सकती है। हालाँकि बिजली उत्पादन की व्यवस्था स्वयं घर वाले या तो जेनरेटर से या तो सोलर प्लांट के द्वारा करते हैं, घर में घरेलू उपयोग के लिए ऐसे बिजली का उपयोग नहीं किया जाएगा। ➢ 'अन्य' में अन्य दूसरे प्रकार की बिजली व्यवस्था शामिल होती है, जो 1 से 3 किसी भी कोड के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।
23	खाना पकाने के लिए ईंधन	घर के लोगो द्वारा खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन का प्रकार इस मद के सम्मुख कोड में दर्ज किया जाएगा। कोड निम्नलिखित हैं: गैस-01, बिजली-02, मिट्टी का तेल-03, चारकोल-04, लकड़ी का ईंधन-05, अन्य-49 नोटः ➢ यदि खाना पकाने के लिए एक से अधिक स्रोतों का उपयोग किया गया है तो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले स्रोत की जानकारी दर्ज की जाएगी। ➢ 'अन्य' में अन्य दूसरे प्रकार की व्यवस्था शामिल होती है, जो 1 से 5 किसी भी कोड के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।

24a	पीने के पानी का स्रोत	घर के लोगों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के स्रोत की जानकारी इस मद के सम्मुख कोड में की जाएगी।
24b	नल द्वारा जल आपूर्ति की अवधि	यदि पीने के पानी की आपूर्ति नल या परिसर के बाहर सार्वजनिक नल के माध्यम से की जाती है तो जल आपूर्ति की अवधि इस मद के सम्मुख कोड में दर्ज की जाएगी।
25	यदि परिसर के बाहर है तो पीने के पानी की स्रोत से दूरी	यदि पीने के पानी की सुविधा घर के परिसर के बाहर है तो घर से पीने के पानी की स्रोत की दूरी का पता लगाया जाएगा और उपयुक्त दूरी कोड दर्ज किया जाएगा
26	मौजूदा शौचालय की सुविधा	घर में मौजूदा शौचालय की सुविधा कोड में दर्ज की जाएगी।
27	बाथरूम की सुविधा	घर में मौजूदा बाथरूम की सुविधा कोड में दर्ज की जाएगी।
28	घर के सामने की सड़क	घर के सामने की सड़क का प्रकार इस मद के सम्मुख कोड में दर्ज किया जाएगा
29	उपलब्ध शिशु विद्यालय का प्रकार	घर के बच्चे द्वारा उपयोग किए जाने वाले और उपलब्ध शिशु विद्यालय के प्रकार का पता लगाकर उपयुक्त कोड दर्ज किया जाएगा।
30	उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय का प्रकार	घर के बच्चे द्वारा उपयोग किए जाने वाले और उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय के प्रकार का पता लगाकर उपयुक्त कोड दर्ज किया जाएगा।

31	उपलब्ध हाई-स्कूल का प्रकार	घर के बच्चे द्वारा उपयोग किए जाने वाले और उपलब्ध हाई-स्कूल स्कूल का प्रकार पता लगाकर उपयुक्त कोड दर्ज किया जाएगा।
32	उपयोग की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा का प्रकार	घर के लोगो द्वारा उपयोग की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा प्रकार का पता लगाकर उपयुक्त कोड दर्ज किया जाएगा नोटः एक से अधिक प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है तो अधिकतर उपयोग की जाने वाली सुविधा को दर्ज किया जाएगा
33	किसी भी परिवार के किसी सदस्य द्वारा कल्याण लाभ के लिए उपयोग	परिवार के किसी सदस्य द्वारा किया जाने वाला उपयोग इस मद के सम्मुख कोड में दर्ज किया जाएगा, यदि एक से अधिक लाभ की सुविधा उपलब्ध है तो, नियमित रूप से सबसे अधिक उपयोग होने वाले कल्याण लाभ को दर्ज किया जाएगा।
34	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	इस मद में टिकाऊ वस्तु की संख्या सूचीबद्ध होती है। इसका पता इसलिए लगाना चाहिए कि परिवार के सदस्यों के पास टिकाऊ वस्तुए हैं या नहीं। यदि परिवार के पास टिकाऊ वस्तुए हैं तो कोड 1 अन्यथा 2 दर्ज किया जाएगा।
35	मवेशी (लाइव स्टॉक)	यह मद पालतू जानवर की संख्या सूचीबद्ध करता है। यह पता लगाना चाहिए कि परिवार के सदस्य के पास ये पालतू जानवर हैं या नहीं। यदि हैं तो, 1 अन्यथा 2 दर्ज किया जायेगा।

ब्लॉक IV: यदि लागू हो तो, घर का प्रवास विवरण

यदि लागू हो तो, यह ब्लॉक घर का प्रवास विवरण दर्ज करता है।

मद सं.	मद का नाम	मद के प्रचार हेतु निर्देश
36	शहर/कस्बों में रहने की कुल अवधि	इस शहर में परिवार के सदस्यों के रहने की अवधि का पता लगाकर इसे मद के सम्मुख कोड में दर्ज किया जाएगा।
37	क्या यहाँ से दूसरे जगह जाकर बसे हैं	क्या परिवार के सदस्य इस शहर से ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में बसे हैं इसका पता लगाकर उपयुक्त कोड दर्ज किया जाएगा
38	प्रवास का प्रकार	क्या परिवार के सदस्य मौसमी या स्थायी रूप से बसे हैं इसका पता लगाकर उपयुक्त कोड दर्ज किया जाएगा नोटः ➢ मौसमी प्रवास यानी इसकी अल्पकालिक अवधि आमतौर पर स्थायी होती है।
39	प्रवास का कारण	परिवार के सदस्य के प्रवास का कारण इस मद के सम्मुख कोड में दर्ज किया जाएगा।

ब्लॉक V: घरों के सदस्यों का आय-व्यय विवरण

मद संख्या	मद का नाम	मद के प्रचार हेतु निर्देश
40	घर में कमाने वाले वयस्क सदस्यों की संख्या	घर में कमाने वाले वयस्क पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या दर्ज की जाएगी
41	घर में न कमाने वाले	घर में न कमाने वाले वयस्क पुरुष और महिला

	वयस्क सदस्य की संख्या	सदस्य की संख्या दर्ज की जाएगी
42	घर के सदस्यों की मासिक औसत आय का विवरण	घर के सदस्यों की पिछले तीन महीने (सर्वेक्षण दिनांक से) का औसत आय विवरण रुपये में दर्ज किया जाएगा
43	घर के सदस्य की औसत मासिक आय (रुपयों में)	घर के सदस्यों की पिछले तीन महीने (सर्वेक्षण दिनांक से) का औसत आय-व्यय विवरण रुपये में दर्ज किया जाएगा।
44	सर्वेक्षण के समय बकाया ऋण (रु. में)	सर्वेक्षण के समय परिवार के सदस्यों का बकाया ऋण (रु. में) दर्ज किया जाएगा।
45	परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (उपरोक्त मामले को) उपयुक्त बॉक्स में रखा जाएगा।

अनुबंध-III

(विस्तृत आजीविका सर्वेक्षण)

अनुबंध-III के प्रचार के लिए सामान्य निर्देशः विस्तृत आजीविका सर्वेक्षण

कवरेजः सर्वेक्षण के तहत घर के प्रत्येक रोजगार और बेरोजगार सदस्य की जानकारी अनुसूची-III से प्राप्त की जाएगी।

स्रोत की जानकारीः इसकी जानकारी घर के प्रमुख या जानकार व्यक्ति से पूछताछ कर प्राप्त की जाएगी। अधिकतर मद की जानकारी कोड में दर्ज की जाएगी। जहाँ कहीं भी लागू होगा, कोड शेड्यूल में दर्शाए जाएंगे।

शेड्यूल की संरचना

सर्वेक्षण के तहत घर के प्रत्येक सदस्यों की जानकारी अनुबंध III से प्राप्त किया जाएगा।

सर्वेक्षण के तहत घर के प्रत्येक सदस्यों के आय के स्त्रोत/आजीविका कार्यक्रम की रिकार्डिंग की जाती है। इसलिए, परिवार के अध्यनरत सदस्य इस सर्वेक्षण के पूर्वावलोकन के तहत नहीं आते हैं। अनुबंध III को निम्नलिखित छह खंडों में जानकारी प्राप्त करने हेतु तैयार की गई है:

ब्लॉक I:	परिवार के सदस्यों के आय का विवरण
ब्लॉक II:	आय/आजीविका का स्त्रोत
ब्लॉक III:	परिवार के सदस्यों का बेरोजगार होने का प्रमुख कारण
ब्लॉक IV:	प्रशिक्षण/कौशल संवर्धन के लिए पसंदीदा क्षेत्र
ब्लॉक V:	प्रशिक्षण/कौशल संवर्धन कार्यक्रम को समझाने के बारे में सुझाव
ब्लॉक VI:	पोस्ट-ट्रेनिंग/कौशल संवर्धन कार्यक्रम के बारे में सुझाव

ब्लॉक I: घर में कमाने वाले सदस्यों का विवरण

सर्वेक्षण के तहत घर के प्रत्येक रोजगार/कमाने वाले सदस्यों की विस्तृत जानकारी ब्लॉक I से प्राप्त की जाती है।

1 a: सामान्य विवरण

मद संख्या	मद का नाम	मद के प्रचार हेतु निर्देश
स्तंभ 1	क्रम संख्या	परिवार के सदस्य की विशिष्ट जानकारी क्रम संख्या से संबंधित उन प्रत्येक पंक्ति में की जाती है जिसके लिए स्तंभ 2 से 14 में से जानकारी प्राप्त की जा रही है।
स्तंभ 2	नाम	स्तंभ 2 से 4 में संग्रहित की जाने वाली परिवार के सदस्य के नाम की जानकारी दर्ज की जाएगी।
स्तंभ 3	परिवार के मुखिया से संबंध	परिवार के मुखिया से परिवार के सदस्य का संबंध इस मद के सम्मुख दर्ज किया जाएगा।
स्तंभ 4	उम्र	संग्रहित की जाने वाली परिवार के सदस्य की उम्र की जानकारी दर्ज की जाएगी।
स्तंभ 5	लिंग	संग्रहित की जाने वाली परिवार के सदस्य की लिंग की जानकारी कोड में दर्ज की जाएगी।
स्तंभ 6	जाति	संग्रहित की जाने वाली परिवार के सदस्य की जाति की जानकारी कोड में दर्ज की जाएगी।

1खः शिक्षा और प्रशिक्षण

मद संख्या	मद का नाम	मद के प्रचार हेतु निर्देश
स्तंभ 8	शैक्षिक योग्यता	संग्रहित की जाने वाली परिवार के सदस्य की वर्तमान में शैक्षिक योग्यता की जानकारी कोड में दर्ज की जाएगी। नोटः ➢ 'अन्य' में सभी प्रकार के शैक्षिक योग्यता शामिल होंगे जो 01 से 07 किसी भी कोड के अंतर्गत शामिल नहीं

		किए जाएँगे।
स्तंभ 9	आवश्यक कौशल प्रशिक्षण	यदि पहले से प्राप्त निश्चित कौशल प्रशिक्षण से संबंधित परिवार के सदस्य की जानकारी प्राप्त की गई है तो जानकारी कोड में दर्ज की जाएगी। नोटः ➢ यदि कोई कौशल प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है तो कोड 99 लागू होगा। ➢ 'अन्य' में सभी प्रकार के कौशल प्रशिक्षण शामिल होंगे जो 01 से 07 किसी भी कोड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। ➢ यदि एक से अधिक कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उनके वर्तमान जॉब के प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण की जानकारी प्राप्त करके तदनुसार कोड दर्ज किया जाएगा।
स्तंभ 10	प्राप्त कौशल प्रशिक्षण के संस्था का प्रकार	यदि परिवार के सदस्य ने पहले ही कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तो प्राप्त कौशल प्रशिक्षण के संस्था का प्रकार कोड में दर्ज किया जाएगा। नोटः ➢ 'अन्य' सभी प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान में शामिल होंगे जो 01 से 04 किसी भी कोड के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाएंगे।

1 गः रोजगार एवं आय

मद संख्या	**मद का नाम**	**मद के प्रचार हेतु निर्देश**
स्तंभ 11	रोजगार स्थिति	संग्रहित की जाने वाली परिवार के सदस्य की वर्तमान रोजगार स्थिति की जानकारी कोड में दर्ज की जाएगी। नोट: 'अन्य' सभी प्रकार के रोजगार में शामिल होंगे जो 01 से

		04 किसी भी कोड के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाएंगे।
स्तंभ 12	कार्य स्थान	परिवार के सदस्य की मौजूदा कार्य स्थान से दूरी के बारे में संग्रहित की जाने वाली जानकारी का पता लगाकर उपयुक्त कोड दर्ज किया जाएगा।
स्तंभ 13	कार्य का समय	परिवार के सदस्य के वर्तमान जॉब के कार्य समय की संग्रहित की जाने वाली जानकारी कोड में दर्ज की जाएगी।
स्तंभ 14	मासिक आय	परिवार के सदस्य की औसत मासिक आय की संग्रहित की जाने वाली जानकारी कोड में दर्ज की जाएगी।

ब्लॉक II: आय/आजीवका का स्रोत

प्राथमिक व्यवसायः वह व्यवसाय जिसमें कोई व्यक्ति आजीविका/कमाई के लिए अपेक्षाकृत लंबे समय तक आर्थिक कार्य करता है।

अन्य व्यवसायः जिसमें व्यक्ति अपनी आजीविका/कमाई के लिए प्राथमिक व्यवसाय के अलावा कम अवधि के लिए कुछ आर्थिक कार्य जारी रख सके।

मद संख्या	**मद का नाम**	**मद के प्रचार हेतु निर्देश**
I	कमाने वाले पुरुष	परिवार में कमाने वाले मुख्य व्यक्ति का प्राथमिक और अन्य व्यवसाय कोड में दर्ज किया जाएगा।
II	कमाने वाली महिला	परिवार में कमाने वाली मुख्य महिला का प्राथमिक और अन्य व्यवसाय कोड में दर्ज किया जाएगा।

ब्लॉक III: घर के बेरोजगार सदस्यों का बेरोजगारी का मुख्य कारण

घर के बेरोजगार सदस्यों का बेरोजगारी का मुख्य कारण इस मद के सम्मुख कोड में दर्ज किया जाएगा। यदि वर्तमान में बेरोजगारी का एक से अधिक कारण है तो सबसे प्रासंगिक

कारण का पता लगाकर उपयुक्त कोड दर्ज किया जाएगा।

ब्लॉक IV: प्रशिक्षण/कौशल संवर्धन के लिए पसंदीदा क्षेत्र

मद संख्या	मद का नाम	मद के प्रचार हेतु निर्देश
I	कमाने वाले पुरुष	परिवार में कमाने वाले मुख्य व्यक्ति के प्राथमिक और अन्य व्यवसाय दोनों के लिए प्रशिक्षण/कौशल विकास का पसंदीदा क्षेत्र उपयुक्त बॉक्स में कोड में दर्ज किया जाएगा।
II	कमाने वाली महिला	परिवार में कमाने वाली मुख्य महिला के प्राथमिक और अन्य व्यवसाय दोनों के लिए प्रशिक्षण/कौशल विकास का पसंदीदा क्षेत्र उपयुक्त बॉक्स में कोड में दर्ज किया जाएगा।

ब्लॉक V: प्रशिक्षण/कौशल संवर्धन कार्यक्रम समझाने के संबंध में सुझाव

सर्वेक्षण के तहत प्रशिक्षण/कौशल संवर्धन कार्यक्रम देने के बारे में परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का सार 100 से अधिक शब्दों में दर्ज नहीं किया जाएगा।

ब्लॉक VI: पोस्ट ट्रेनिंग/कौशल संवर्धन कार्यक्रम के संबंध में सुझाव

स्व रोजगार, बाजार आधारित रोजगार इत्यादि जैसे पोस्ट-ट्रेनिंग/कौशल संवर्धन कार्यक्रम के संबंध में परिवार के सदस्यों द्वारा दिया गया सुझाव 100 से अधिक शब्दों में दर्ज नहीं किया जाएगा।

****

सत्यमेव जयते

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

निदेशक (एनबीओ) तथा विशेष कार्याधिकारी (जेएनएनयूआरएम)
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
210-जी विंग, एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108
दूरभाषः +91-11-23061692, फैक्सः +91-11-23061542
ईमेलः dnbo-mhupa@nic.in, dpsnegi2000@yahoo.co.in
वेबसाइटः www.nic.in, www.jnnurm.nic.in, www.mhupa.nic.in